Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **भरतपुर में अति0 जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) व कनिष्ठ सहायक 15 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**

- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *14 सितम्बर* बुधवार / ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसआईयू इकाई द्वारा आज भरतपुर में कार्यवाही करते हुये गोपाल सिंह कुंतल, हाल अति0 जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा), प्रभारी अधिकारी मिड–डे मील भरतपुर तथा भुवनेश चंसोरिया, हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय अति0 जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा), मिड–डे मील प्रभारी भरतपुर को परिवादी से **15 हजार रूपये** की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की एसआईयू इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि मेरे द्वारा बुहाना व खोह ग्राम पंचायत के विधालयों में पोषाहार वितरण करने के बिलों का भुगतान करने की एवज में गोपाल सिंह कुंतल, हाल अति0 जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) भरतपुर द्वारा 12 प्रतिशत के हिसाब से **16 हजार रूपये** की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री सवाई सिंह गोदारा** के सुपरविजन में एसीबी की एसआईयू इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री बजरंग सिंह** के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **श्री कमल नयन उप अधीक्षक पुलिस** मय टीम **श्री परमेश्वरलाल उप अधीक्षक पुलिस, श्री रघुवीर शरण पुलिस निरीक्षक** द्वारा भरतपुर में ट्रेप कार्यवाही करते हुये गोपाल सिंह कुंतल, हाल अति0 जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा), प्रभारी अधिकारी मिड–डे मील भरतपुर तथा भुवनेश चंसोरिया, हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय अति0 जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा), मिड–डे मील प्रभारी भरतपुर को परिवादी से **15 हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपीयान के निवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।